तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 34/2020 अनवान बन्नूदेवी बनाम भेर पर्बत**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

22/12/20

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 09 से 14 के वकील उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी का कथन है कि प्रार्थीनी मौजा सोनड़ी पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 296/212 रकबा 50.00 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है था अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 09 से 14 का कथन है कि उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को छोड़कर तथा उनकी उपस्थिति में नखमबन्दी की जावें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीनी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकट मौजा सोनड़ी पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 296/212 रकबा 50.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देष दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:02:55 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 2819 दिनांक – 22-12-20

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बन्नूदेवी पत्नी करनाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।		1 भैर पर्वत पुत्र शिव पर्वत जाति स्वामी निवासी हाल बोथिया तहसील शिव 2 शैतानसिंह पुत्र भवरसिंह जाति पुरोहित निवासी बोथिया तहसील शिव 3 जुगतगर 4 मूलगर पिसरान गोमगर जाति स्वामी 5 गेनाराम पुत्र मोमताराम 6 रूखाराम पुत्र गुणेशाराम 7 पदमाराम 8 निम्बाराम पिसरान मोमताराम जाति जाट 9 शंकराराम 10 जगमाल 11 गेनसिंह 12 नेपालसिंह पिसरान खेता 13 प्रवीण पुत्र जेठूसिंह 14 रेंवतकंवर पत्नी जेठूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सेनडी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 34/2020

दिनांक– 22/12/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोनड़ी पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 296/212 रकबा 50.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2020/ 2820-2823 दिनांक– 22-12-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बन्नूदेवी पत्नी करनाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भैर पर्वत पुत्र शिव पर्वत जाति स्वामी निवासी हाल बोथिया तहसील शिव व जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर